



लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व)  
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/02/2020 (सू.अ.)  
पंजीयन दिनांक:- 01.01.2020

श्री सुनील दुबे, 38, पाठों की मगरी, सेवाश्रम चौराहा के पास, उदयपुर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



निर्णय

दिनांक 21.01.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 11.11.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 02/2020/(21.01)/03 दिनांक 01.01.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 21.01.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी सम संख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 21.01.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन के बिन्दु संख्या 6.2(ग) में चाही गई सूचना अपूर्ण प्राप्त हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले में गठित जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के गठन की तिथि से

लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)




श्री सुनील दुबे निवासी सेवाश्रम चौराहे के पास, उदयपुर बनम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

लेकर मेरे द्वारा सूचना आवेदन की तिथि तक जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक कार्यवाही विवरणों की प्रतिलिपियां प्रदान नहीं की गई है। अतः मुझे बाकी बची हुई सूचना उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/13 दिनांक 15.01.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

1. यह कि प्रार्थी श्री सुनील दुबे पिता रामजीवन दुबे, निवासी 38 पाठों की मगरी, सेवाश्रम चौराहा के पास, उदयपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2019 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 13.11.2019 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2322 दिनांक 14.01.2020 से डाक द्वारा भिजवाई गई है। पत्र की प्रति संलग्न है।
3. यह कि प्रार्थी को इस कार्यालय द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2322 दिनांक 14.01.2020 से सूचना उपलब्ध करा दी जाने से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/13 दिनांक 15.01.2020 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/

  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)





प्रकरण संख्या 02/2020 (सू.अ.) श्री सुनील दुबे निवासी सेवाश्रम चौराहे के पास, उदयपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
---

एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2322 दिनांक 14.01.2020 से उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है।

किन्तु अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के बिन्दु संख्या 6.2(ग) की पूर्ण सूचना उसे उपलब्ध नहीं गई है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में उसके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 6.2(ग) की पूर्ण सूचना निःशुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।



(चेतन दिवड़ा)

लोक सूचना अपील अधिकारी  
लोक सूचना अपील अधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./02/2020(सू.अ.)/ 47  
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 21 / 01 / 2020

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री सुनील दुबे, 38, पाठों की मगरी, सेवाश्रम चौराहा के पास, उदयपुर (राज.)

लोक सूचना अपील अधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

